–फारम सं०–562

न्यायालय, भूमि सुधार उपसमहार्त्ता, बुण्डू (राँची)

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख..तक

जिला–.........राँची..................., दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–..........52.................सन्–...2019–20.......... ।

वाद का प्रकार–बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 की धारा–7 के तहत दाखिल खारिज अपील वाद

अर्जीकार–श्रीमती शशिबाला देवी बनाम प्रतिपक्षी–अंचल अधिकारी, बुण्डू वगैरह।

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित

आदेश

29-09-2020

प्रस्तुत वाद में अपीलार्थी–श्रीमती शशिबाला देवी, पति–श्री वशिष्ठ मांझी,सा०–चोकाहातु, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अंचलाधिकारी/बुण्डू के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–231 R27/2018-2019/बुण्डू. में दिनांक–04/01/2019. को पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील दायर किया है। जिसके द्वारा निम्नलिखित भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया गया।

जमीन का विवरण

मौजा	थाना	थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा
ताऊ	बुण्डू	27	10	1232	11 डीसमील,

चौहदी:– उ०–दीपक कुमार माँझी वगैरह, द०–देवीचरण कोईरी,
पू०–विष्णु महतो, प०–अर्जुन कोईरी।

अपीलार्थी की ओर से दायर अपील आवेदन पर सुनवाई हेतु इस अपील वाद को ग्रहण किया गया। अपीलार्थी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता के कथनानुसार–उपरोक्त वर्णित भूमि विपक्षी से निबंधित डीड संख्या 474/461 द्वारा दिनांक–16.12.2017 को नियमानुसार खरीदा है एवं उक्त भूमि पर शांतिपूर्ण दखलकार है। उक्त भूमि के नामांतरण वाद में आवेदिका सुनवाई की तिथि को कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। इसी आधार पर उक्त नामांतरण वाद को अस्वीकृत कर दिया गया।

अपीलार्थी की ओर से अनुरोध किया गया है कि उपरोक्त भूमि का दाखिल खारिज अपील वाद को स्वीकृत कर अंचल अधिकारी, बुण्डू को उक्त भूमि का दाखिल खारिज करने का आदेश देने की कृपा की जाए।

अपीलार्थी द्वारा इस वाद में समर्पित निम्न न्यायालय के नामांतरण मुकदमा सं०–231 R27/2018-2019/बुण्डू. का अस्वीकृति की सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति का अवलोकन किया। अंचलाधिकारी, बुण्डू के प्रतिवेदनानुसार सुनवाई की तिथि को आवेदक द्वारा कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः इस स्थिति में नामांतरण अस्वीकृत किया गया है।

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर
29-09-2020	अपीलार्थी के द्वारा दाखिल किए गए दस्तावेजों के अवलोकनोपरांत अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है एवं अंचलाधिकारी, बुण्डू द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए उन्हें इस निदेश के साथ प्रतिप्रेषित (REMAND) किया जाता है कि अपीलार्थी को पुनः सुनकर उनसे आवेदित भूमि से संबंधित कागजात प्राप्त कर उनका जाँच–पड़ताल करते हुए नए सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे। अंचल अधिकारी, बुण्डू को इस आदेश की प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें। लेखापित एवं संशोधित। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू(राँची)। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू(राँची)।